Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/Absorption grade from which promotion/deputation/absorption is to be made
(11)	(12)
Promotion	**Promotion** : Peons with two years regular service in the grade

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (For promotion and confirmation) consisting of : 1. Director (Administration) —Chairman 2. A Group 'A' officer of the Central Ground Water Board —Member 3. A Group 'A' officer from some other Ministry/ Department of the Central Government —Member	Not applicable.

[F. No. 23/40/2009-CGWB]

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide number G.S.R. 86, dated the 21st May, 2007.

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (संपीड़ित चालक) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में संपीड़ित चालक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए में निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड संपीड़ित चालक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संपीड़ित चालक	40* (2009) *कार्यभार के आधार पर इस अतिरिक्त उपबंध के साथ परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 27 वर्ष । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक) शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण** 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण** 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष ।

(8)
(ii) डीजल प्रचालित वायु संपीड़ित (कम्प्रेशर) के प्रचालन और अनुरक्षण में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वालों रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे । 1. निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर —सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23/37/2009-सी जी डब्ल्यू बी]

एम. एन. सुकुमारन, अवर सचिव

New Delhi, the 15th January, 2010

G.S.R. 17.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Central Ground Water Board (Compressor Operator) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Compressor Operator in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Compressor Operator Group 'C' post Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules..

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Compressor Operator	40*(2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs. 1900	Not applicable	No	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) **Note 1:** The crucial date of determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the

(7)
crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent from a recognized Board; and (ii) three years' experience in the operation and maintenance of diesel operated air compressor. **Note 1** : Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case of candidates, for reasons to be recorded in writing, otherwise well qualified. **Note 2** : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government (for the reasons to be recorded in writing) in case candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)	(12)
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : 1. Director (Administration) —Chairman 2. Superintending Engineer —Member 3. Senior Administrative Officer/Administrative Officer —Member	Not applicable

[F. No. 23/37/2009-CGWB]

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.